न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म0प्र0

1. ललमणि कोरी तनय स्व0 रामेश्वर कोरी
2. राममणि कोरी तनय स्व0 रामेश्वर कोरी
3. मुन्ना कोरी तनय स्व0 रामेश्वर कोरी
4. छोटुआ कोरी तनय स्व0 रामेश्वर कोरी

सभी निवासी ग्राम पड़िया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

.........................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामफल कोरी तनय स्व0 गपुआ कोरी
2. लक्ष्मण कोरी तनय स्व0 सरजू कारी
3. रामाश्रय कोरी तनय स्व0 सरजू कारी

सभी निवासी ग्राम पड़िया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

............................गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 595/निगरानी/अ-12/2005-06 पारित आदेश दिनांक 31/10/2017

सक्षिप्त तथ्य

यह कि भूमि खसरा कमांक 52 एवं 53 स्थिति ग्राम पड़िया के सीमांकन का आवेदन पत्र निगरानीकर्ता कमांक 3 द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उक्त भूमियो का सीमांकन दिनांक 11/06/2005 को किया गया उक्त सीमांकन के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता कमांक 2 व 3 द्वारा इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि उनकी भूमि का सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जब तक [illegible]कर्तागण की भूमि का सीमांकन नही हो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2019/0112 जिला–रीवा

लालमन कोरी/ रामफल कोरी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र सिह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 595/निगरानी/अ–12/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	